



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में दोस्त या रिश्तेदार को दिया गया उधार वापस पाने के कानूनी रास्ते क्या हैं, जिसमें वसूली का मुकदमा, समय सीमा, ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत संक्षिप्त मुकदमा और डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड की कानूनी अहमियत शामिल हो?”

भारत में मित्र या संबंधी को दिए गए उधार (फ्रेंडली लोन) की कानूनी वसूली, समय-सीमा, ऑर्डर 37 सीपीसी तथा डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता

सारांश

भारत में किसी मित्र या रिश्तेदार को दिए गए व्यक्तिगत ऋण या 'फ्रेंडली लोन' (उधार) की कानूनी वसूली सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के तहत वसूली के मुकदमे (Suit for Recovery) या यदि कोई लिखित अनुबंध, चेक अथवा प्रॉमिसरी नोट मौजूद हो, तो ऑर्डर 37 के तहत 'संक्षिप्त मुकदमे' (Summary Suit) के माध्यम से की जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने *Ashok Kumar Tiwari v. Rajesh Kumar Yadav* (2016) में यह स्पष्ट किया है कि लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 19 के तहत फ्रेंडली लोन की वसूली के लिए समय-सीमा ऋण दिए जाने की तारीख से 3 वर्ष है, जिसे चेक या लिखित पावती (acknowledgment) के जरिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, यूपीआई (UPI) या बैंक ट्रांसफर जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
13	4	2024
10 उच्च न्यायालय • 3 सर्वोच्च न्यायालय		Supreme Court of India

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	7

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 फ्रेंडली लोन पर 3 वर्ष की सख्त समय-सीमा

बिना किसी लिखित संविदा या प्रॉमिसरी नोट के दिए गए फ्रेंडली लोन की वसूली के लिए सीमा अवधि ऋण देने की तारीख से 3 वर्ष होती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने *Mortulo Ramchandra Gad v. John Pinto* (2006) में स्पष्ट किया कि आर्टिकल 19 लागू होने के कारण, ऋण देने के बाद मौखिक रूप से 'मांग करने की तारीख' से लिमिटेशन शुरू होने का तर्क कानूनी रूप से अमान्य है।

02 भुगतान स्वीकृति या चेक द्वारा लिमिटेशन का विस्तार

लिमिटेशन एक्ट की धारा 18 और 19 के तहत, यदि उधारकर्ता ऋणदाता को ऋण चुकाने के लिए चेक जारी करता है या बैंक खाता हस्तांतरण करता है, तो यह ऋण की लिखित पावती मानी जाती है। इससे चेक की तारीख या हस्तांतरण की तिथि से अगले 3 वर्ष की नई लिमिटेशन अवधि शुरू हो जाती है (*Ashok Kumar Tiwari v. Rajesh Kumar Yadav* (2016); *Harish C. Bhasin v. Bank of Baroda* (2010))।

03 ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत संक्षिप्त मुकदमे की संकीर्ण प्रयोज्यता

सीपीसी के ऑर्डर 37 के तहत 'संक्षिप्त मुकदमा' (Summary Suit) केवल लिखित अनुबंध, चेक, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट या किसी कानून के तहत निश्चित देनदारी (liquidated demand) पर ही लाया जा सकता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने *Satellite Television Asian Region Limited v. Kunvar Ajay Foods Pvt. Ltd.* (2008) में माना कि जहाँ राशि अनिश्चित या केवल हर्जाने के रूप में हो, वहाँ ऑर्डर 37 लागू नहीं होता।

04 प्रतिवादी को 'लीव टू डिफेंड' (बचाव की अनुमति) देने का नियम

ऑर्डर 37 के मुकदमों में यदि प्रतिवादी अदालत के समक्ष कोई ऐसा वास्तविक और गंभीर मुद्दा (triable issue) उठाता है जो उसके निष्पक्ष बचाव को दर्शाता है, तो उसे बिना शर्त बचाव करने का अवसर (unconditional leave to defend) मिलना चाहिए (*Multimedia Frontiers Ltd. v. Tikoo Traders Pvt. Ltd.* (2007); *Grind Master Machines Pvt. Ltd. v. Sunraj System Pvt. Ltd.* (2017))।

05 डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए धारा 65B प्रमाणपत्र की अनिवार्यता

यूपीआई (UPI) या इंटरनेट बैंकिंग के डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड्स को साक्ष्य के रूप में साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अस्वीकार्य हो जाता है (*Ramdhari v. State of U.P.* (2019); *Manoj Kumar Tiwari v. Manish Sisodia* (2020))।

06 समय-सीमा की समाप्ति केवल कानूनी उपचार को बाधित करती है, मूल अधिकार को नहीं

समय-सीमा (limitation) समाप्त हो जाने से पीड़ित का अदालत के माध्यम से वसूली पाने का कानूनी अधिकार (remedy) समाप्त होता है, लेकिन उसका स्वामित्व या हक समाप्त नहीं होता (*Vasantha v. Rajalakshmi* (2024))।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

Major S. S. Khanna v. Brig. F. J. Dillon (1963) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जहाँ पक्षों के बीच ऋण वापसी के वादे और उसके स्वामित्व को लेकर तथ्यात्मक विवाद हो, तो ऐसे मामले को बिना साक्ष्य दर्ज किए प्रारंभिक कानूनी बिंदु पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, *Ghasi Ram v. Chait Ram Saini* (1998) में न्यायालय ने माना कि वकील की गलत कानूनी सलाह के कारण अनुपयुक्त मंच पर सद्भावना (good faith) से मुकदमा चलाने में लगे समय को लिमिटेशन की गणना से बाहर रखा जा सकता है।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

उच्च न्यायालयों (दिल्ली, बॉम्बे, हिमाचल प्रदेश) का रुख फ्रेंडली लोन के मामलों में बेहद सख्त रहा है। *Gurmesh Kaur v. Chander Kala* (2006) में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि भले ही भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया हो, लेकिन 3 वर्ष की समय-सीमा भुगतान के दिन से ही शुरू होगी; मौखिक रूप से "मांग करने पर ऋण वापस करने" का समझौता लिमिटेशन की शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा सकता।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 65B, INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 — ADMISSIBILITY OF ELECTRONIC RECORDS

यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (जैसे बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, यूपीआई रसीद या कंप्यूटर प्रिंटआउट) को मूल दस्तावेज के बिना कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाने के नियम और शर्तें निर्धारित करता है।

"Notwithstanding anything contained in this Act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer shall be deemed to be also a document, if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceedings, without further proof or production of the original, as evidence or any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible." उद्धृत: Manoj Kumar Tiwari v. Manish Sisodia, Ramdhari v. State of U.P.

SECTION 2, LIMITATION ACT, 1963 — DEFINITIONS

यह लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रयुक्त विभिन्न कानूनी शब्दावलियों को परिभाषित करता है, जिसमें वाद (suit) और विहित समय-सीमा (period of limitation) शामिल हैं।

"In this Act, unless the context otherwise requires,— (j) "period of limitation" means the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by the Schedule, and "prescribed period" means the period of limitation computed in accordance with the provisions of this Act;" उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 85B, INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 — PRESUMPTION AS TO ELECTRONIC RECORDS AND ELECTRONIC SIGNATURES

यह कानूनी रूप से यह अनुमान (presumption) स्थापित करता है कि एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में विशिष्ट समय के बाद कोई हेरफेर नहीं किया गया है।

"In any proceedings involving a secure electronic record, the Court shall presume unless contrary is proved, that the secure electronic record has not been altered since the specific point of time to which the secure status relates. (2) In any proceedings, involving secure digital signature, the Court shall presume unless the contrary is proved that -- (a) the secure electronic signature is affixed by subscriber with the intention of signing or approving the electronic record;" उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 23, LIMITATION ACT, 1963 — SUITS FOR COMPENSATION FOR ACTS NOT ACTIONABLE WITHOUT SPECIAL DAMAGE

यह प्रावधान करता है कि जहाँ विशिष्ट क्षति के बिना वाद का कारण उत्पन्न नहीं होता, वहाँ समय-सीमा की गणना क्षति होने के समय से की जाएगी।

"In the case of a suit for compensation for an act which does not give rise to a cause of action unless some specific injury actually results therefrom, the period of limitation shall be computed from the time when the injury results." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

III. चर्चित मुकदमे

13 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Ashok Kumar Tiwari v. Rajesh Kumar Yadav</i> DLHC010310582015	HIGH COURT OF DELHI	2016	फ्रेंडली लोन वसूली की लिमिटेशन ऋण देने की तिथि से 3 वर्ष है।
02	<i>Mortulo Ramchandra Gad v. John Pinto</i> HCBM050003731999	BOMBAY HIGH COURT	2006	बिना लिखित प्रमाण 'ऑन डिमांड' ऋण पर आर्टिकल 19 लिमिटेशन लागू होगी।
03	<i>Manoj Kumar Tiwari v. Manish Sisodia</i> DLHC010059952020	HIGH COURT OF DELHI	2020	डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता धारा 65B के अनुपालन पर निर्भर है।
04	<i>Ghasi Ram v. Chait Ram Saini</i> ESCR010002811998	SUPREME COURT OF INDIA	1998	सद्भावनापूर्ण गलत कानूनी सलाह के तहत खर्च समय धारा 14 में माफ होगा।
05	<i>Vasantha v. Rajalakshmi</i> ESCR010000912024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	समय-सीमा बीतने से केवल कानूनी उपाय समाप्त होता है, अधिकार नहीं।
06	<i>Ramdhari v. State of U.P.</i> UPHC011638252018	ALLAHABAD HIGH COURT	2019	बिना धारा 65B प्रमाणपत्र के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में सर्वथा अस्वीकार्य है।
07	<i>Gurmesh Kaur v. Chander Kala</i> HPHC010010112004	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2006	बैंक ड्राफ्ट से दिए ऋण की लिमिटेशन भुगतान तिथि से शुरू होती है।
08	<i>Major S. S. Khanna v. Brig. F. J. Dillon</i> ESCR010001871964	SUPREME COURT OF INDIA	1963	ऋण वसूली में क्षेत्राधिकार और तथ्यों के विवाद साक्ष्य के बिना तय नहीं होंगे।
09	<i>Multimedia Frontiers Ltd. v. Tikoo Traders Pvt. Ltd.</i> GJHC240292082005	HIGH COURT OF GUJARAT	2007	यदि प्रतिवादी वास्तविक त्रिकोणीय मुद्दा उठाए, तो बिना शर्त बचाव का मौका मिले।
10	<i>Grind Master Machines Pvt. Ltd. v. Sunraj System Pvt. Ltd.</i> HCMA010797742009	MADRAS HIGH COURT	2017	जटिल व्यावसायिक दावों में संक्षिप्त प्रक्रिया के बजाय नियमित परीक्षण होना चाहिए।
11	<i>Satellite Television Asian Region Limited v. Kunvar Ajay Foods Pvt. Ltd.</i> GJHC240005392007	HIGH COURT OF GUJARAT	2008	ऑर्डर 37 सीपीसी केवल लिखित अनुबंध या निश्चित देनदारियों पर लागू होता है।
12	<i>Satellite Television Asian Region Limited v. Kunvar Ajay Foods Pvt. Ltd.</i> GJHC240196352006	HIGH COURT OF GUJARAT	2008	मानहानि जैसे अनिश्चित दावों पर ऑर्डर 37 के तहत संक्षिप्त मुकदमा वर्जित है।
13	<i>Harish C. Bhasin v. Bank of Baroda</i> DLHC010629272005	HIGH COURT OF DELHI	2010	बैंक ट्रांसफर या तीसरे पक्ष द्वारा भुगतान लिमिटेशन अवधि को बढ़ा देता है।

IV. मुकदमे का विवरण 13 केस फ़ाइलें

01 Ashok Kumar Tiwari v. Rajesh Kumar Yadav

HIGH COURT OF DELHI • 2016-05-06 • RFA/94/2015

यह मामला एक दीवानी वाद (civil suit) से संबंधित है, जिसमें respondent ने appellant से कथित 'friendly loan' की वसूली के लिए Order 37 of the CPC के तहत वाद दायर किया था। निचली अदालत ने प्रतिवादी के 'leave to defend' आवेदन को समय-सीमा के आधार पर खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि दावे का आधार बना loan और बाद में जारी किए गए cheques, दोनों ही Limitation Act के तहत निर्धारित समय-सीमा से बाहर थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि cheque का जारी होना Section 18 of the Limitation Act के तहत दायित्व की स्वीकृति (acknowledgment) माना जाता है, फिर भी वाद निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निचले न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए वाद को 'time-barred' घोषित कर दिया।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 19 के तहत उधार दिए गए पैसे की वसूली के लिए सीमा अवधि ऋण देने की तारीख से 3 वर्ष है। यदि ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्रतिवादी द्वारा चेक जारी किए जाते हैं, तो वह लिमिटेशन एक्ट की धारा 18 के तहत दायित्व की लिखित स्वीकृति के रूप में कार्य करता है, जो सीमा अवधि को चेक की तारीख से 3 वर्ष के लिए बढ़ा देता है। यदि इसके बाद भी समय-सीमा बीत चुकी हो, तो मुकदमे को लिमिटेशन एक्ट की धारा 3 के तहत खारिज किया जाना चाहिए।

“The suit though undoubtedly was for recovery of money which was the subject matter of cheques which had been dishonoured but the consideration for which the cheques were stated to have been issued was the friendly loan given by the respondent/plaintiff to the appellant/defendant between February, 2010 to April, 2010. We have thus to see the limitation provided for a suit therefor. Article 19 of the Schedule to the Limitation Act prescribes limitation of three years commencing from the date when the loan is made for a suit for money payable for money lent.”

HIGH COURT OF DELHI • 2016

स्रोत DLHC010310582015

02 Mortulo Ramchandra Gad v. John Pinto

BOMBAY HIGH COURT • 2006-08-11 • FA/18/1999

यह मामला धन वसूली के एक सिविल मुकदमे से संबंधित है, जिसमें मूल वादी ने प्रतिवादी को 1989 में 'फ्रेंडली लोन' के रूप में 60,000 रुपये दिए थे। निचली अदालत ने वादी के पक्ष में निर्णय दिया था, जिसे प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने पाया कि ऋण का भुगतान 'ऑन डिमांड' होने का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं था। न्यायालय ने माना कि यह मामला Limitation Act की Article 19 के अंतर्गत आता है, जिसके अनुसार ऋण वसूली की अवधि 3 वर्ष है। चूंकि यह वाद 1989 के ऋण के विरुद्ध 1996 में दायर किया गया था, इसलिए यह 'समय-सीमा' (limitation) के बाहर होने के कारण वर्जित था। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को रद्द कर दिया और मुकदमा खारिज कर दिया।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि जब कोई फ्रेंडली लोन बिना किसी लिखित प्रॉमिसरी नोट या विशिष्ट शर्त के दिया जाता है, तो लेनदेन पूरी तरह लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 19 के दायरे में आता है। इसकी वसूली की 3 वर्ष की समय-सीमा ऋण दिए जाने की तारीख से शुरू होती है। यह तर्क कि भुगतान 'मांग करने पर' किया जाना था, बिना ठोस सबूत के स्वीकार नहीं किया जा सकता।

“If this is so, then the transaction between the parties is nothing less or more than a friendly loan advanced on 5/7/1989 between the parties. The learned Trial Judge has definitely fallen in error while holding that demand of repayment was made for the first time on 1/11/1994 and therefore the suit filed on 4/1/1996 was within 3 years and therefore within limitation. ... Record shows that suit transaction is entirely covered by the Article 19 of the Limitation Act which provides the limitation period for recovery of the amount of 3 years which is the time from which period begins to run.”

BOMBAY HIGH COURT • 2006

स्रोत HCBM050003731999

03 Manoj Kumar Tiwari v. Manish Sisodia

HIGH COURT OF DELHI • 2020-12-17 • CRL.M.C./2342/2020

यह मामला मानहानि (defamation) के आरोपों से संबंधित है। complainant, Manish Sisodia, ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ताओं (Manoj Kumar Tiwari और Vijender Gupta) ने उनके और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के कार्यों के बारे में सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झूठे और अपमानजनक दावे किए, जिसमें करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप शामिल था। शिकायतकर्ता का तर्क था कि इन बयानों का उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। न्यायालय ने इस आपराधिक कार्यवाही और निचली अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन (summoning order) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार किया। न्यायालय ने मामले के तथ्यों और कानून के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए यह निर्णय दिया कि क्या ये आरोप कानूनी रूप से प्रथम दृष्टया मानहानि के दायरे में आते हैं या नहीं।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के प्रावधानों को रेखांकित किया। न्यायालय ने दोहराया कि किसी कंप्यूटर आउटपुट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बिना मूल प्रति के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाने के लिए धारा 65B की आवश्यक शर्तों (जैसे डिवाइस का नियमित उपयोग और उचित संचालन) का कड़ाई से पालन होना आवश्यक है।

“any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer (hereinafter referred to as the computer output) shall be deemed to be also a document, if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceedings, without further proof or production of the original”

HIGH COURT OF DELHI • 2020

स्रोत DLHC010059952020

04 Ghasi Ram v. Chait Ram Saini

SUPREME COURT OF INDIA • 1998-07-22 • 1998 INSC 268

यह मामला Limitation Act, 1908 के Section 14 के तहत समय सीमा में छूट (condonation of delay) से संबंधित है। एक अशिक्षित वादी ने अपने वकील की गलत सलाह पर एक नया मुकदमा (fresh suit) दायर करने के बजाय High Court में Civil Revision दायर की थी। न्यायालय ने माना कि यद्यपि यह कार्यवाही तकनीकी रूप से गलत थी, लेकिन क्योंकि वादी ने इसे 'good faith' और 'due diligence' के साथ किया था, और High Court ने स्वयं उस revision को सुना था, इसलिए वादी को उस दौरान लगे समय का लाभ मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक अशिक्षित मुवक्किल को अपने वकील की गलत सलाह के कारण दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 14 के तहत, यदि कोई वादी सद्भावना (good faith) के साथ किसी अनुपयुक्त कानूनी मंच पर गलत वकील की सलाह के कारण गलत सिविल कार्यवाही चलाता है, तो उस कार्यवाही में बिताया गया समय नई सिविल सूट की समय-सीमा की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।

“Condonation of delay improper as Revision had been entertained, not dismissed for want of jurisdiction and so the time spent in prosecuting the civil revision petition could be excluded and a fresh suit was the only remedy under CPC-On appeal Held, Appellant entitled to condonation of delay- Illiterate litigant not to suffer on ill-advice of counsel-Civil proceedings before filing of fresh suit were prosecuted in good faith.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1998

स्रोत ESCR010002811998

05 Vasantha v. Rajalakshmi

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-02-13 • 2024 INSC 109

यह मामला संपत्ति के अधिकारों और 'Limitation Act, 1963' के तहत दावों की समय-सीमा से संबंधित है। विवाद एक 1947 के 'First Settlement Deed' से शुरू हुआ। वादी ने इस विलेख के आधार पर संपत्ति में अपना अधिकार मांगा, जबकि प्रतिवादी ने बाद के विलेखों और प्रतिकूल कब्जे (adverse possession) का तर्क दिया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि वादी का मुकदमा 'limitation' के आधार पर बाधित है क्योंकि उसने आवश्यक समय सीमा के भीतर दावा दायर नहीं किया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने 'Specific Relief Act, 1963' की Section 34 के तहत मुकदमे को बनाए रखने योग्य नहीं माना, क्योंकि वादी ने संपत्ति के कब्जे की रिकवरी के लिए परिणामी राहत मांगे बिना केवल घोषणा (declaration) का मुकदमा दायर किया था। न्यायालय ने निचली अदालतों के निर्णय को बहाल करते हुए प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कानून के सुस्थापित सिद्धांत को दोहराते हुए माना कि समय-सीमा (limitation) की समाप्ति केवल पीड़ित पक्ष के कानूनी उपचार (remedy) को बाधित करती है, लेकिन यह उसके अधिकार या हक (title) को समाप्त नहीं करती है, सिवाय इसके कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 लागू होती हो।

“That apart, it is now well settled that the lapse of limitation bars only the remedy but does not extinguish the title. Reference may be made to Section 27 of the Limitation Act. This aspect was overlooked entirely by the High Court in reversing the findings of the Courts below.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010000912024

06 Ramdhari v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2019-01-04 • A482/28998/2018

यह मामला Section 482 Cr.P.C. के अंतर्गत दायर एक आवेदन से संबंधित है, जिसमें अभियुक्तों ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने गवाहों (PW-1 और PW-6) को फिर से बुलाने (recall) और एक वीडियो CD को साक्ष्य के रूप में पेश करने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने यह पाया कि गवाहों से पहले ही विस्तार से जिरह हो चुकी है और CD को बिना आवश्यक Section 65B of the Indian Evidence Act के प्रमाण-पत्र के बहुत देर से पेश किया गया था। न्यायालय ने माना कि इस तरह के आवेदन केवल मुकदमे में देरी करने के उद्देश्य से दिए गए हैं, अतः याचिका को खारिज कर दिया गया।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साक्ष्य कानून की धारा 65B के अनुपालन पर विचार करते हुए माना कि डिजिटल रिकॉर्ड (जैसे सीडी, डिजिटल फाइलों) को तब तक साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता जब तक कि उनके साथ धारा 65B का अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र संलग्न न हो।

“Before considering the rival submission, a look at Section 65 (B) of the Evidence Act is necessary:

“Section 65B in The Indian Evidence Act, 1872 [65B.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2019

स्रोत UPHC011638252018

07 Gurmesh Kaur v. Chander Kala

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2006-11-03 • CS/6/2004

यह वाद धन की वसूली से संबंधित है, जिसमें वादी संख्या 2 (plaintiff No.2) ने प्रतिवादियों (defendants) को मकान खरीदने और निर्माण करने के लिए ऋण देने का दावा किया था। वादियों ने तर्क दिया कि उन्होंने नकद और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल 11,05,000 रुपये प्रतिवादियों को दिए थे। प्रतिवादियों ने इन दावों का खंडन किया और इसे समय-सीमा (limitation) से बाधित बताया। न्यायालय ने साक्ष्यों की जांच के बाद माना कि केवल 3,85,000 रुपये का ऋण ही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से साबित हुआ है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी पाया कि यह दावा Limitation Act के प्रावधानों के तहत तीन वर्ष की समय-सीमा के भीतर नहीं था, क्योंकि ऋण देने की तिथि से ही समय की गणना शुरू हो जाती है। इस प्रकार, न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया।

निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 19 और 21 के तहत, किसी भी उधार दिए गए पैसे की वसूली के लिए कानूनी समय-सीमा 3 वर्ष है, जो ऋण के भुगतान (remittance) की तिथि से ही शुरू हो जाती है। यह दलील कानूनी रूप से गलत है कि मांग करने की तारीख से समय-सीमा गिनी जानी चाहिए।

“Limitation for a suit for recovery of loan is three years, under Article 19, irrespective of the fact whether the money is payable on demand or otherwise. Article 19 of the Limitation Act says that the limitation is three years in a suit for recovery of money payable for money lent and limitation begins to run from the date of the loan.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2006

स्रोत HPHC010010112004

08 Major S. S. Khanna v. Brig. F. J. Dillon

SUPREME COURT OF INDIA • 1963-08-14 • 1963 INSC 168

यह मामला Civil Procedure Code के Section 115 के तहत High Court के Revisional jurisdiction की व्याख्या से संबंधित है। विवाद तब शुरू हुआ जब trial court ने एक प्रारंभिक मुद्दे पर यह निर्णय लिया कि भागीदारों के बीच चल रहे दावों के कारण मुकदमा maintainable नहीं है। High Court ने इस आदेश को उलट दिया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि Section 115 में 'case' शब्द का अर्थ व्यापक है और इसमें वे interlocutory आदेश भी शामिल हैं जो पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को सीधे प्रभावित करते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र का गलत प्रयोग किया है, तो High Court के पास हस्तक्षेप करने का discretionary अधिकार है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक मुकदमे में जहाँ ऋण वापसी के वादे के तहत दिए गए पैसे की वसूली मांगी गई हो, वहाँ ऋण के स्वामित्व और लेनदेन के तथ्यों से संबंधित विवादों को साक्ष्य दर्ज किए बिना और पूर्ण परीक्षण (trial on evidence) के बिना खारिज नहीं किया जा सकता।

“Dillon alleged in his plaint that at the request of Khanna, he had advanced diverse loans (from the funds lying in deposit in the joint account) and that the latter had agreed to repay the loans. The cause of action for the suit was therefore the loan advanced in consideration of a promise to repay the amount of the loan, and failure to repay the loan. ... All these contentions raised substantial issues of fact which had to be decided on evidence, and Dillon could not be non-suited on the assumption that the pleas raised were correct.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1963

स्रोत ESCR010001871964

09 Multimedia Frontiers Ltd. v. Tikoo Traders Pvt. Ltd.

HIGH COURT OF GUJARAT • 2007-03-23 • SCA/22382/2005

यह मामला Summary Suit में 'leave to defend' (बचाव का अवसर) प्रदान करने से संबंधित है। प्रतिवादी (petitioner) ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी 'leave to defend' की याचिका को खारिज कर दिया गया था और वादी (respondent) के पक्ष में डिक््री पारित की गई थी। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसके पास ठोस बचाव और triable issues थे जिन्हें नियमित मुकदमे के दौरान सुलझाया जाना चाहिए था। Gujarat High Court ने माना कि निचली अदालत ने प्रतिवादी के बचाव को पूरी तरह से नजरअंदाज करके क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की। न्यायालय ने Mechalec Engineers & Manufacturers बनाम Basic Equipment Corporation के सिद्धांतों का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि यदि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए मुद्दे विश्वसनीय और triable हैं, तो उसे बिना शर्त 'leave to defend' दिया जाना चाहिए। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को बचाव का अवसर प्रदान किया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के Mechalec Engineers मामले का उल्लेख करते हुए माना कि यदि ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत लाए गए संक्षिप्त मुकदमे में प्रतिवादी अदालत के समक्ष ऐसा ठोस या वास्तविक बचाव (bona fide defence) उठाता है जिससे गंभीर कानूनी मुद्दे (triable issues) उत्पन्न होते हैं, तो उसे बिना शर्त बचाव करने का अवसर (unconditional leave to defend) दिया जाना चाहिए।

“If the defendant raises a triable issue indicating that he has a fair or bona fide or reasonable defence although not a positively good defence the plaintiff is not entitled to sign judgment and the defendant is entitled to unconditional leave to defend.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2007

स्रोत GJHC240292082005

10 Grind Master Machines Pvt. Ltd. v. Sunraj System Pvt. Ltd.

MADRAS HIGH COURT • 2017-11-14 • CRP/2029/2009

यह मामला Order 37 of the Code of Civil Procedure के तहत दायर एक summary suit से संबंधित है, जिसमें वादी ने unpaid incentives और commission के लिए रिकवरी का दावा किया था। निचली अदालत ने प्रतिवादी (petitioner) की 'leave to defend' याचिका को खारिज कर दिया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि वादी का दावा, जो incentives और commission पर आधारित था, को सिद्ध करने के लिए विस्तृत साक्ष्य और दस्तावेजों की आवश्यकता थी, न कि केवल summary procedure की। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे मामलों में जहाँ तथ्यों का विवाद हो, प्रतिवादी को बचाव का अवसर मिलना चाहिए। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को लिखित बयान (written statement) दाखिल करने का निर्देश दिया।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहाँ दावे (जैसे प्रोत्साहन या कमीशन आदि) की प्रकृति ऐसी हो जिसे साबित करने के लिए विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के परीक्षण की आवश्यकता हो, वहाँ ऑर्डर 37 के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अनुपयुक्त है। ऐसे मामलों में प्रतिवादी को बचाव का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए।

“unconditional leave should ordinarily be granted to defend if the Courts is of opinion that case raises triable issue – Court would refuse leave to defend altogether if it is satisfied that facts disclosed by defendant do not indicate substantial defense to suit or when defense intended to be raise is frivolous or vexatious.”

MADRAS HIGH COURT • 2017

स्रोत HCMA010797742009

11 Satellite Television Asian Region Limited v. Kunvar Ajay Foods Pvt. Ltd.

HIGH COURT OF GUJARAT • 2008-12-10 • CRA/67/2007

यह मामला Summary Civil Suits में प्रतिवादियों को बचाव (leave to defend) की अनुमति देने की शर्तों से संबंधित है। मूल वादी ने 'Order 37' के तहत हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) के लिए वाद दायर किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि प्रतिवादियों के विज्ञापनों या सार्वजनिक नोटिसों के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है। निचली अदालत ने प्रतिवादियों को कुछ शर्तों पर, जैसे कि अदालत में बड़ी राशि जमा करने के बाद, बचाव की अनुमति दी थी। प्रतिवादियों ने इन शर्तों को चुनौती दी, जबकि वादी ने बिना शर्त बचाव की अनुमति न देने के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय ने इन मामलों में कानून और तथ्यों की समानता के आधार पर यह निर्णय लिया कि Summary Suit की प्रकृति में ऐसे जटिल दावों के लिए दी गई शर्तें न्यायसंगत हैं या नहीं।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि सीपीसी के ऑर्डर 37 रूल 2 के तहत संक्षिप्त सिविल सूट केवल सीमित श्रेणियों के मामलों (जैसे हंडी, चेक, लिखित अनुबंध या गारंटी पर आधारित निश्चित ऋण) पर ही लागू होता है। मानहानि या सामान्य क्षति के दावों के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जा सकता।

“such Summary Suits under Order 37 of the Code of Civil Procedure claiming damages for defamation and for declaration and permanent injunction are not maintainable at all. It is submitted that when such Summary Suits for the relief sought in the aforesaid suits are not maintainable, the learned trial court ought to have granted unconditional leave to the defendants to defend the suits.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2008

स्रोत GJHC240005392007

12 Satellite Television Asian Region Limited v. Kunvar Ajay Foods Pvt. Ltd.

HIGH COURT OF GUJARAT • 2008-12-10 • SCA/11469/2006

यह मामला Summary Civil Suits में दायर किए गए दावों से संबंधित है, जहाँ वादी (plaintiff) ने मानहानि और अनुबंध भंग के लिए भारी हर्जाने की मांग की थी। निचली अदालत ने प्रतिवादियों (defendants) को शर्त के साथ बचाव (leave to defend) करने की अनुमति दी थी और उन्हें भारी धनराशि जमा करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने यह माना कि जो दावे मानहानि जैसे अनिश्चित हर्जाने की मांग करते हैं, वे Order 37 of the Code of Civil Procedure के तहत Summary Suit के रूप में विचारणीय नहीं हैं। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेशों को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में Summary procedure लागू नहीं होती और प्रतिवादियों को बिना शर्त बचाव का अधिकार मिलना चाहिए।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऑर्डर 37 की प्रयोज्यता बहुत संकीर्ण है। यह केवल बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, या किसी लिखित अनुबंध या कानून के तहत उत्पन्न निश्चित पैसे/ऋण की वसूली के मामलों तक सीमित है। अनिश्चित हर्जाने की मांग वाले मामलों में प्रतिवादी को बिना शर्त बचाव की अनुमति दी जाएगी।

“Order 37 applies only where suits are upon Bills of Exchange, Hundi and Promissory Note, suit in which the plaintiff seeks only to recover a debt or liquidated demand in money payable by the defendant with or without interest, on a written contract or on an enactment where the sum sought to be recovered is a sum of money or in the nature of a debt other than a penalty”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2008

स्रोत GJHC240196352006

13 Harish C. Bhasin v. Bank of Baroda

HIGH COURT OF DELHI • 2010-12-06 • RFA/178/2005

यह मामला ऋण वसूली से संबंधित है। अपीलकर्ताओं (Harish C. Bhasin और अन्य) ने एक बैंक से कैश क्रेडिट सुविधा ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने यह दावा किया कि यह राशि वास्तव में तीसरे पक्ष (P.S. Jain Motors) के लाभ के लिए ली गई थी और ऋण चुकाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। निचली अदालत ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अपीलकर्ताओं और गारंटर दोनों को ऋण चुकाने का उत्तरदायी ठहराया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के तर्कों को खारिज कर दिया और यह माना कि बैंक के रिकॉर्ड और ऋण दस्तावेजों के अनुसार, प्राथमिक उधारकर्ता के रूप में अपीलकर्ता अपनी देयता से इनकार नहीं कर सकते। अंततः, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 19 के अनुप्रयोग पर विचार करते हुए माना कि यदि देनदार की सहमति या अधिकार से किसी खाते से फंड ट्रांसफर या आंशिक भुगतान किया जाता है, तो हर बार भुगतान किए जाने पर समय-सीमा का नया चक्र शुरू हो जाता है।

“provisions of Section 19 of the Limitation Act which provides that where some payment on account of some debt is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or by his agent duly authorized in that behalf a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made.”

HIGH COURT OF DELHI • 2010

स्रोत DLHC010629272005

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।